क्रम-संख्या—499

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0/एल0—डब्लू0/एन0पी0—91/2008—10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग—4, खण्ड (क)**

(सामान्य परिनियम नियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2008**

**अग्रहायण 11, 1930 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग—10

संख्या 2548/6-पु0-10-2008-27(60)-2001

लखनऊ, 2 दिसम्बर, 2008

### अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

सा०प०नि०—59

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग और इस निमित्त जारी सभी विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के नागरिक पुलिस के उप-निरीक्षक और निरीक्षक के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

## उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008

**भाग-1—सामान्य**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2— उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एक सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है ;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है ;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए ;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ट) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है ;

(ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है ;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ढ) " भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

## भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो :–

| पदों के नाम | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | स्थायी | अस्थायी | योग |
| 1–निरीक्षक | 890 | 339 | 1229 |
| 2–उप-निरीक्षक | 7153 | 3754 | 10907 |

परन्तु यह कि,–

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है ;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्त्रोत 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी :–

(1) उप-निरीक्षक – पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।

सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली,1974 के अनुसार की जायेगी।

(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा :–

(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ;

(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(3) निरीक्षक–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी : उप-निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंनें पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

आरक्षण 6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी,–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8— उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं 9— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने,—

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ; या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10— जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जांय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो;

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र 11— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी :— चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वैरीकोस वैंस, कलर ब्लाइंडनेस, दृष्टि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

## भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :–

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके ;

(दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचित कर के।

उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15– उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए, चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(क) <u>आवेदन पत्र</u> (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है ;

(दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी ;

(तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0पत्रक पर होगा ;

(चार) अभ्यर्थियों के बाये और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन-पत्र में स्थान दिया गया है ;

(पांच) प्रत्येक आवेदन-पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा।

(छः) आवेदन-पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है।

(सात) समुचित रूप में भरे गये आवेदन-पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहां से वे क्रय किये गये हों।

(ख) <u>बुलावा पत्र</u>

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का परीक्षण बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन-पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को

उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा–पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।

(ग) <u>शारीरिक मानक परीक्षा</u>

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–1 में दी गयी है।

(घ) <u>प्रारम्भिक लिखित परीक्षा</u>

चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की/अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी।

इसमें तीन खण्ड होंगे, अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान, (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतन्त्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक परीक्षा। न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

(ड़) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार–1 के स्तर की होगी। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उक्त परीक्षा के मानकों, जो किसी भी दशा में स्टार–1 के विहित मानकों से कम नहीं होगा, में परिवर्तन या उच्चीकरण कर सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित है।

(च) <u>मुख्य लिखित परीक्षा</u>

खण्ड (ड़) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी:–

| <u>विषय</u> | <u>अधिकतम अंक</u> |
|---|---|
| 1–सामान्य हिन्दी/ हिन्दी निबन्ध | 75 अंक<br>25 अंक |
| 2–मूलविधि एवं संविधान | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) |
| 3–संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) |
| 4–मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) |

<u>टिप्पणी</u> : लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।

प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की आवश्कयता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों सहित सम्पूर्ण सूची एवं साथ में उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की तीन गुना होगी।

(छ) **चिकित्सा परीक्षा –**

मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी जो ऐसी होगी जैसा परिशिष्ट–3 में विहित है।

(ज) **समूह परिसंवाद**

नियम–15 (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह–परिसंवाद में सम्मिलित होन की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा/समूह परिसंवाद की प्रकिया एक 'पैनल' के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जएगी, जिसमें प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध–विज्ञानी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक पुलिस अपर महानिदेशक समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएगी और सम्पूर्ण समूह–परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तूतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा।

**टिप्पणी 1 –** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

**टिप्पणी 2 –** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा।

**टिप्पणी–3** लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।

(झ) **चयन और योग्यता सूची**

नियम–15 (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को नियम–15 (ज) के अधीन समूह–संवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। बोर्ड आरक्षण नीति सम्बन्धी दिशा–निर्देश को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह–परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट उनकी योग्यता सूची के कम में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में रखा जाएगा। बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की चयन सूची को वेबसाइट में अपलोड करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करेगा।

उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16– विभागीय परीक्षा के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ, बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा :–

(क) **लिखित परीक्षा :**

(एक) पास व्यक्तियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की

आएगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत् हैं :–

| विषय | अधिकतम अंक |
|---|---|
| 1– हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्थावाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित) | 100 अंक |
| 2– सामान्य विधि, संविधान एवं पुलिस प्रकिया (भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रकिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल, आदि). | 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 3– संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता परीक्षा | 50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 4– मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धि लब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा | 50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |

टिप्पणी–1 प्रश्न पत्रों को उपनिरीक्षक के पद के कार्य प्रोफाइल को ध्यान में रखकर कार्य के उत्तर दायित्व के अनुरूप तैयार किया जायेगा।

टिप्पणी–2 जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पत्र नहीं होंगे।

(दो) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

(ख) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) <u>सेवा अभिलेख</u>

खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिये 07 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण

इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची :–

(घ) खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

समूह परिसंवाद

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह–परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रकिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संवादित की जाएगी जिसमें, प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध–विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक (कार्मिक) और पुलिस अपर महानिदेशक, कानून–व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह–परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तूतिकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी–1 समूह पहरवार की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी–2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर सथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।

चयन और योग्याता सूची:–

(च) बोर्ड नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता कम में जैसा कि उप नियम (6) और उप नियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो उप नियम (पांच) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17– विभागीय परीक्षा के आधार पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। शत प्रतिशत रिक्तियॉ पदोन्नति के माध्यम से भरी जायेंगी।

लिखित परीक्षा

(क)(एक) पास अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिये 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिये आवंटित अंक निम्नवत हैं :–

| | विषय | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 1– | हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्था वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित) | 100 अंक |

| | | |
|---|---|---|
| 2– | मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि) | – 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 3– | संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा | – 50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |
| 4– | मानसिक अभिरूचि / बुद्धिलब्धि / तार्किक परीक्षा | – 50 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) |

टिप्पणी 1– प्रश्नपत्र स्नातक स्तर के होगे

टिप्पणी 2– जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिये पास नहीं होंगे।

टिप्पणी 3– लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट –3 में विहित है।

(दो) चयन समिति नियम –6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में हुये सफल अभ्यिर्थियों की उनके द्वारा उपनियम (दो) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

(ख) **सेवा अभिलेख**

(एक) खंड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक ), स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघुदंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है , जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।

(दो) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको को उनके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिए जाएगें। इस प्रकार प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

(ग) <u>समूह परिसंवाद</u>

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का पृथक संग्रह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक "पैनल" के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें प्रबन्ध विशेषज्ञ, मनोविशलेषक, अपराध-विज्ञानी, अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) (पुलिस महानिदेशक, उत्तर

प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी: (1) समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी: (2) चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों को नामनिर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा –7 के अनुसार किया जाएगा।

(घ) <u>अंतिम चयन सूची</u>

चयन समिति नियम –6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि खण्ड (पांच) और खण्ड (छः) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उपनियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति सूची को बोर्ड को अग्रसारित करेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। विभागाध्यक्ष, आपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंको से युक्त अंतिम चयन सूची बोर्ड के वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

## भाग छः प्रशिक्षण, नियुक्ति,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

प्रशिक्षण

18– (1) उपनिरीक्षक के पद पर नियम –15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

(2) पुलिस निरीक्षक के पद पर नियम –17 के अधीन नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति के पश्चात पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओं से संबंधित पाठयक्रम को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।

नियुक्ति

19– (1) नियम 15 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 15(ग), 15(घ), 15 (ड), और उपनियम 15(च), के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थित चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संगर्व में जो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा दोनों प्रकार से की जाय तो नामों को नियम 15 (ड), में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार रखा जायेगा :

परन्तु यह सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन

मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

परिवीक्षा

20– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे,अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापनापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21 (1) नियम 20 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि————

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहॉ उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22 सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

## भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

23 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिए गये हैं।

परीवीक्षा अवधि में वेतन

24 (1)

| क्रम संख्या | पद का नाम | वेतनमान |
|---|---|---|
| 1– | उपनिरीक्षक | रू0 5500–9000 |
| 2– | निरीक्षक | रू0 6500–10,500 |

फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में

उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

## भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26 ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

संयुक्त चयन सूची 27 यदि किसी भर्ती वर्ष में नियुक्तियां दोनो सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूचना तैयार की जाएगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसे रीति से लिये जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 28 जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी भर्ती के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकते हैं या

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा।

व्यावृत्ति 29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

## परिशिष्ट–1

[नियम 15 (ग) देखें]

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा

*शारीरिक* मानक परीक्षा

पुरुष और महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित है:–

पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक –

ऊँचाई:

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. है।

(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 से.मी. है।

सीने का फुलाव:

| | |
|---|---|
| सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति के सीने का फुलाव – 84 से.मी. | अनुसूचित जनजाति 82 से.मी. |

टिप्पणी: न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य हैं

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक –

ऊँचाई:

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है।

(2) अनसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 से.मी. है।

वजन: – 45 से 58 किलोग्राम

3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापटट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किंतु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है।

5. दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पटट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा।

7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्था प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

## परिशिष्ट–2

[नियम 15 (ङ) देखें]

**सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा**

शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. परगना मजिस्ट्रेट /डिप्टी कलेक्टर;
2. चिकित्सक/कीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी;
3. पुलिस उपाधीक्षक।

(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रकिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।

(ख) जहॉ कहीं परीक्षण, परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाय, वहॉ प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम/पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहॉ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाएगा।

(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साइट पर नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।

(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात् परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणत वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा।

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा।

---

## परिशिष्ट–3

[नियम 15 (च) देखें ]

लिखित परीक्षा की प्रकिया

**मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों (उपनिरीक्षक की सीधी भर्ती के मामले में) को शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रीति से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति से भेजे जायेंगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे।**

(क) फोटो, दोनों हाथों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाएगा।

(ख) परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँच जाना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी।

(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक उपलब्ध कराया जायगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुँजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायगा।

(ङ) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

---

## परिशिष्ट–4

[ नियम 15 (छः) देखें ]

<u>सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण</u>

चिकित्सा परीक्षा परिषद्

जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेगें प्रत्येक चिक्त्सिा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रकिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद् मुख्यतयः मानव शरीर की कमियों, जैसे नोक–नी बो–लेग्स, प्लेट फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस रैबीस टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद् विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।

(ख) दिन के अंत में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट एवं माइक पर घोषित/प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) चिकित्सा परिषद् के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाएंगे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जएगा और जहाँ भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेब साइट पर अपलोड किया जाएगा।